अपील सूचना अधिकार संख्या -48/2019 (RCMS 2019/000149) श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह पेास्ट ऑफिस मानेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (मो. 97997–59721) बनाम तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ

05.08.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुखदेव सिंह स्वयं उपस्थित हुआ। बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि उसने तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.05.2019 को प्रस्तुत करके तीन बिन्दुओं की सूचनाएं चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने यह अपील इस न्यायालय में पेश कर प्रार्थना की है कि उसे वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **अपीलार्थी श्री सुखदेव सिंह** ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.05.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ से निम्न सूचना चाही थीः

1. सूरतगढ शहर में जोहड पायतन (बीड) की कुल कितनी भूमि है, जमाबंदी की प्रमाणित प्रति।
2. राजस्व सूरतगढ़ कस्बा में जोहड़ पायतन की कितनी भूमि खाली है व कितनी भूमि पर अतिकर्मियों ने अतिक्रमण कर रखा है, की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति देवें।
3. राजस्व तहसील सूरतगढ द्वारा अब तक अतिकर्मियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है, कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई है जबकि धारा 7(1) अन्तर्गत 30 दिवस के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने अथवा न करवाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से प्रावधान दिये गये है:

धारा 7 अनुरोध का निपटारा :

(1) धारा 5 की उप धारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंट के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के **धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक है।** इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की **अपील स्वीकार** की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एंवं तहसीलदार, सूरतगढ को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं अगर **देय है तो नियमानुसार उपलब्ध करवाई जाये अन्यथा न दिये जाने पर प्रार्थी को कारण सहित सूचित किया जावे।** आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।**

यह आदेश आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर